

व्यक्तिगत-घ्यानार्थ
अतिआवश्यक / समयबद्ध
फैक्स / स्पीड पोस्ट

सख्यां : शिक्षा-एच(10)एफ(4)11 / 2009
शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला-171001

18, अगस्त , 2011

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / सम्बद्ध महाविद्यालय हि0 प्र0 ।
2. प्राचार्य, समस्त संस्कृत महाविद्यालय हि0 प्र0 ।
3. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हि0 प्र0 ।

विषय :-

केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजनाओं में निर्वाह भत्तों और आय सीमा के सन्शोधन बारे :-

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के पत्र सख्यां 11017 / 01 / 2008-एस.सी.डी.-वी दिनांक 31-12-10 , प्रधान सचिव शिक्षा हि0 प्र0 सरकार के पत्र सख्या शिक्षा-11-गा (7)-1 / 2008-लूज दिनांक 13-07-2011 तथा भारत सरकार जन जातीय मन्त्रालय के पत्र सख्या -19012 / 05 / 2010-शिक्षा दिनांक 21-06-2011 व आयुक्त जन जातिय विभाग हि0 प्र0 के पत्र सख्यां टी.बी.डी.(टी.बी.एम.)8-1 / 2007 दिनांक 30.06.2011 व भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के पत्र सख्यां 11014 / 1 / 2011-बी.सी.-1 दिनांक 12-05-11, तथा प्रधान सचिव शिक्षा हि0 प्र0 सरकार के पत्र सख्या शिक्षा-11-गा (10)-1 / 2008 दिनांक 23-06-2011 के अन्तर्गत मुझे यह कहने के आदेश हुए है कि केन्द्रीय प्रायोजित अनुसूचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जो निम्नलिखित सन्शोधन किये गये है को तुरन्त लागु किया जाये । भारत सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति / जन जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्रता हेतु छात्रों के माता पिता / अभिभवकों की वार्षिक आय सीमा को संशोधित कर दो लाख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा को संशोधित कर एक लाख किया गया है यह सन्शोधन अनुसूचित जाति / जन जाति छात्रवृत्ति योजना में 01.07.2010 से तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में 01.10.2010 से लागु होगा।

संशोधित दरें		निर्वाह भत्ता दर (माह -वार रुपये)			
समूह	अनु0जाति / जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
	होस्टल वासी	दिवा छात्र	होस्टल वासी	दिवा छात्र	कक्षा / ग्रेड
क	1200	550	750	350	Group I (i) Degree and P.G Level Courses (Including M.Phil, Ph.D and Doctoral research) in Medicines (Allopathic, Indian and other recognized system of medicines) , Engineering , Technology, Agriculture, Veterinaty and Allied Sciences, Management, Business Finace, Business Administration and Computer Applications.

					(ii) Commercial Pilot Licence (Including helicopter Pilot and Multi Engine rating) course. (iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of multiengine rating) course. (iv) CA./ICWA/CS/I.C.F.A ect. (v) M.Phil, Ph.D and Post Doctoral Programmes(D.Litt, D.Sc.ect) a) In existing Group II courses b) In existing Group III courses (vi) L.L.M
ख	820	530	510	325	Group II (i) Graduate/Post Graduate courses leading to Degree,Diploma,certificate in areas like Pharmacy (B Pharma) Nurising (B Nursing), LLB,BFS,others para-medical branches like rehabilitation,diagnostics ect. Mass Communication Hotel Management & Catering, Travel/ tourism / Hospitality Managment, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Arts, Finacial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). (ii) Post Graduate courses not covered under Group-1 e.g.MA/M.Sc./M.Ed/M.Pharma etc.
ग	570	300	400	210	Group-III All other courses Leading to a graduate or above Degree not covered in Group I&IIe.g. BA/BSc/B.com Etc.
घ	380	230	260	160	Group –IV All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X),e.g. senior secondary certificates (class XI and XII,both general and vocational stream,ITI courses,three years diploma courses in Polytechnics,etc.

अतः सभी उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते हैं कि वह आपने अधीनस्त सभी रा0 व0 मा0 पाठशालाओं को उक्त दरों बारे तुरन्त सूचित करे तथा अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं के बकाया बजट की मांग निम्न निर्धारित प्रपत्र पर उक्त संशोधन अनुसार 15 दिन के भीतर इस निदेशालय को विशेष सन्देश वाहक (छात्रवृत्ति सहायक) द्वारा सॉफ्ट और हॉड कापी में भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रचार्य महाविद्यालयों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह भी आपने अधीनस्त अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं के बकाया बजट की मांग निम्न निर्धारित प्रपत्र पर उक्त संशोधन अनुसार 15 दिन के भीतर इस निदेशालय को विशेष सन्देश वाहक द्वारा सॉफ्ट और हॉड कापी में भिजवना सुनिश्चित करें। उपरोक्त योजनाओं के तहत महाविद्यालयों/स्कूलों द्वारा बार-बार दिये गये दिशनिर्देशों के उपरान्त भी एक समान रूप से बजट मांग नहीं की जा रही जिस के कारण लेखा परीक्षा के दौरान अधिक पैरों को बनने की सम्भावना बनी रहती है जिस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महाविद्यालयों और स्कूलों से बजट मांग एक समान ही होनी चाहिये जिस के लिये निम्न प्रकार से ही महाविद्यालयों/स्कूलों द्वारा बजट मांग की जाये यदि बजट मांग में कोई अनियमिताएं पाई जाती हैं तो उस का पूर्ण दायित्व सस्थान के अध्यक्ष का होगा।

योजनाओं के अर्न्तगत निम्नलिखित शुल्क की ही अदायगी की जायेगी :-

महाविद्यालय स्तर पर :- Adm. Fee, University Fee, (i.e Registration/Continuation fee), Sports fee, Tuition Fee, University Exam.Fee, Youth welfare Fee and Holiday Home Fee.

स्कूल स्तर पर :- Adm. Fee, Tuition Fee, Board Exam.Fee.

नोट :- महाविद्यालय/स्कूलों के स्तर पर जो राशि छात्र/छात्राओं से निधि(Fund) के रूप में ली जाती है उस राशि को योजना के तहत प्रतिपूर्ति की राशि में न जोड़ा जाये।

यदि उक्त समय के भीतर आप के कार्यालय द्वारा बजट की मांग निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बजट मांग शुन्य समझी जायेगी जिस के कारण यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रहता/रहती है तो उस का पूर्णतया दायित्व सस्थान के प्रमुख का होगा।

यह आदेश उक्त योजनाओं के तहत पिछले सभी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये जा रहे है ।

प्रपत्र सन्शोधित राशि हेतू

क्र० स०	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	बैंक खाता संख्यां	बैंक का नाम	IFSC code of Bank must be shown in 11 digits.	कक्षा	छात्र /छात्रा (प्रपत्र के अन्त में कुल योग भी दें)	निर्वाह भत्ता की राशि जो प्राप्त कर ली है	निर्वाह भत्ता की राशि जो देय है
------------	------------------------	----------------	----------------------	----------------	--	-------	---	---	--

प्रपत्र वर्ष 2011-12 हेतू

क्र० स०	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा	छात्र /छात्रा (प्रपत्र के अन्त में कुल योग भी दें)	कुल निर्वाह भत्ता	कुल शुल्क	कुल प्रतिपूर्ति राशि	बैंक खाता संख्यां	बैंक का नाम	IFSC code of Bank must be shown in 11 digits.
------------	------------------------	----------------	-------	--	-------------------------	--------------	----------------------------	----------------------	----------------	--

इस अति आवश्यक समझे ।

नोट :- यह सूचना विभाग की वैवसाईट www.educationhp.org पर भी उपलब्ध है।



शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।